भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2817

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

19 श्रावण, 1940 (शक)

इंटरनेट और मोबाइल प्लेटफार्मों पर झूठी खबरों पर रोक लगाया जाना

2817. श्री संजय सिंह :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंटरनेट और मोबाइल प्लेटफार्मों जैसे कि व्हाट्स ऐप्प पर पर झूठी खबरों द्वारा नफरत फैलाये जाने के कारण बहुत से नागरिकों को पीट-पीट कर मार डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे से निपटने और डिजिटल साक्षरता का प्रसार करने की क्या योजना है;

(ग) क्या इस समस्या से उबरने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन करने अथवा नई नीति लाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि कम्पनियों के सर्वर देश से बाहर अवस्थित हैं तो सरकार झूठी खबरों को कैसे नियंत्रित करेगी ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया)

(क) : इंटरनेट और मोबाइल प्लेटफॉर्म विशेष रूप से वाट्सएप्प प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए ऐसी झूठी खबरें, झूठी सूचना/गलत जानकारी में वृद्धि के बारे में मीडिया रिपोर्टें आती रही हैं जिनके प्रभाव में आकर भीड़ द्वारा नागरिकों को मारा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने इसका संज्ञान लिया है और वाट्सएप्प को 3 जुलाई, 2018 को एक नोटिस जारी किया है। उसी दिन दिए गए उनके उत्तर में वाट्सएप्प ने उनके प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए झूठी खबरों के प्रसार से जुड़े मुद्दे को हल करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी है। विशेष रूप से उन्होंने "लोगों को सुरक्षित रहने के लिए नियंत्रण और सूचना देने" और " वाट्सएप्प पर दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रिय ढंग से कार्य करने" की अपनी रणनीति साझा की है। तत्पश्चात, 19 जुलाई, 2018 को सरकार ने वाट्सएप्प को दूसरा नोटिस जारी किया, जिसमें यह सूचित किया गया कि वाट्सएप्प को और बेहतर प्रौद्योगिकीय समाधान लाने की आवश्यकता है जिससे उनकी जवाबदेही तय की जा सके और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुकर बनाया जा सके। इसके अलावा, आगे लेबलिंग करने और झूठी खबरों को छांटकर अलग करने की दिशा में पहले आश्वस्त किए गए प्रयासों को भी जारी रखा जाए।

(ख) : सरकार ने व्हाट्सएप्प सहित इंटरनेट मोबाइल प्लेटफॉर्मों पर झूठी खबरों द्वारा फैलाई गई नफ़रत सहित प्रयोक्ता की साइबर सुरक्षा से संबंधित जागरूकता के लिए बहुत सारी पहलें की हैं। भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) साइबर सुरक्षा और संरक्षा के विषय में एडवायज़री जारी करता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), सूचना सुरक्षा शिक्षण और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम के जरिए इंटरनेट का प्रयोग करते समय नीतियों का अनुपालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता रहा है और अफ़वाहों/गलत समाचार को साझा न करने की सलाह देता रहा है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कई परामर्शी निदेश जारी किए हैं, जिनमें दिनांक 9.8.2016 को गौरक्षा के नाम पर अशोभनीय घटनाओं पर एक परामर्शी निदेश, साइबर अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण पर दिनांक 13.1.2018 का अन्य परामर्शी निदेश और दिनांक 4.7.2018 का बच्चों को उठाने/अपहरण करने की अफवाहों से कुछ राज्यों में मोब लिचिंग की घटनाओं पर भी एक परामर्शी निदेश शामिल हैं। डब्ल्यूपी (सी) 754/2016 में दिनांक 17.7.2018 के सर्वोच्च न्यायलय के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में गृह मंत्रालय ने दिनांक 23.7.2018 को शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को एक निदेश जारी किया है और इस मामले में सिफारिशें देने के लिए एक मंत्रियों का समूह और एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

सरकार ने व्हाट्सएप्प से झूठी खबरों से निपटने के लिए उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के विषय में जानकारी देने का आग्रह किया है।

(ग) : जब और जैसे भी आवश्यकता होता है सरकार निरंतर रूप से विधायी और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करती हैं।

(घ) : सरकार अपने नागरिकों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के प्रति संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है जैसा कि भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है। सरकार इंटरनेट पर दिखने वाली सूचना सामग्री को विनियमित नहीं करती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां विशिष्ट मामला-दर-मामला आधार पर विद्वेषपूर्ण सामग्री को पोस्ट करने पर यथोचित कार्रवाई करती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी) 2000 में ऑनलाइन रूप से उपलब्ध विद्वेषपूर्ण सूचना सामग्री को हटाने के लिए प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 79 में यह प्रावधान किया गया है कि माध्यस्थ अपेक्षित सावधानी बरतें। इस धारा के अंतर्गत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 में यह निर्धारित किया गया है कि माध्यस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यथोचित सावधानी बरतेंगे और कम्प्यूटर संसाधनों के प्रयोक्ताओं को ऐसी किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित करने, प्रकाशित, अद्यतन या साझा नहीं करने की सूचना देंगे जो किसी भी प्रकार से हानिकारक, आपत्तिजनक, अवयस्कों के लिए नुकसानदेह या किसी भी रूप में गैर कानूनी है।

आईटी अधिनियम की धारा 69क सरकार को निम्नलिखित के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन में तैयार की गई, प्रसारित की गई, प्राप्त, भंडारित अथावा होस्ट की गई किसी सूचना को ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान करती है : i) भारत की संप्रभुता, ii) भारत की रक्षा, iii) राष्ट्र की सुरक्षा, iv) विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध v) सार्वजनिक व्यवस्था अथवा vi) उपर्युक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध को करने के लिए प्रेरित करने से रोकना। प्रभावकारी प्रवर्तन की दिशा में गृह मंत्रालय (एमएचए) व्हाट्सएप्प, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया साइटों के साथ निरंतर रूप से चर्चा करता आ रहा है।

****